फर्द अहकाम

स्वतः बनाम उदित

न्यायालय उपजिलाधिकारी अमवारामगढ़

संख्या 120/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दिनांक 24/4/24 द्वारा पत्रावली पेश की। जिले शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस हुई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 9/5/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी अमवारामगढ़	
	9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचारार्थ हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया। आदेश! वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.सी. [illegible] को स्वीकार किया जाता है। वादी विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा [illegible] शामिल मिसल किया जाता। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी अमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
129 / 2023	25 / 08 / 2023	09.05.2024

1. रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी जाति माली निवासी बादीया की ढाणी, धूलारावजी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री हनुमान जाति माली निवासी बादीया की ढाणी, धूलारावजी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री राकेश बाफलावत :– वकील वादी

श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रतिवादी।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता के पेश कर निवेदन किया किया कि वादी के कब्जे व स्वामित्व की खातेदारी भूमि नया खाता सं0 93 खसरा नम्बर 126 रकबा 1.8300हे0 ग्राम धुलारावजी तहसील आंधी में स्थित है। जो कि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/24 है। प्रार्थी की उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जो कि वादी के पिता स्व0 हनुमान सहाय की मृत्यु उपरान्त वादी को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई जिस बाबत उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के पिता की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारीस वादी स्वयं व उसकी माता प्रतिवादी स0 1 के नाम बराबर–बराबर हिस्सा अनुसार दर्ज रिकार्ड हुई जो आज भी बदस्तुर है। वादी का नाम उक्त विवादग्रस्त भूमि का विरासती नामान्तकरण खोलते समय वादी का नाम सहवन से इन्द्राज पुत्र हनुमान दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जबकि वास्तव में वादी का नाम रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी है उसी अनुसार वादी का नाम वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज किया जाना कानूनन उचित एव आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी है जो कि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशनकार्ड, अपनी माता का जनआधार कार्ड, पेड कार्ड, बैंक पासबुक व कक्षा की अकतालिका वादी का वास्तविक नाम रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी अंकित है। जो सही है जिस कारण वादी के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत इन्द्राज नाम इन्द्राज पुत्र हनुमान को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी घोषित करवाने को वादी अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित आराजियात में वादी के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम इन्द्राज पुत्र हनुमान को दुरूस्त कर रमेश चन्द सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 19.12.23 को जरिये अधिवक्ता जवाब दावा बाबत सहमति पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 2 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/337 दिनांक 24.04.24 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। वकील वादी व पैरोकार सरकर की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब, प्रतिवादी का जवाब दावा तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्रामतन धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 126 रकबा 1. 8300है0 मे वादी का नाम इन्द्राज पुत्र हनुमान के स्थान पर रमेश चन्द सैनी उर्फ इन्द्राज सैनी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी इन्द्राज पुत्र हनुमान के स्थान पर रमेश चन्द सैनी उर्फ इन्द्राज सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादी का हिस्सा यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

रमेश चन्द बनाम उर्मिला वगै0

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं0 129/2023 दिनांक 09.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री राकेश बाफलावत वकील वादी व वकील श्री रामस्वरूप शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्रामतन धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 126 रकबा 1.8300है0 मे वादी का नाम इन्द्राज पुत्र हनुमान के स्थान पर रमेश चन्द सैनी उर्फ इन्द्राज सैनी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी इन्द्राज पुत्र हनुमान के स्थान पर रमेश चन्द सैनी उर्फ इन्द्राज सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।वादी का हिस्सा यथावत रहेगा।

डिक्री दिनांक 09.05.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ